

सामूहिक पद्यात्रा

क्यों

• •

और

कैसे

• • •

ठाकुरदास वंग

• • •

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

१ सामूहिक पदयात्राओं की आवश्यकता

हिन्दुस्तान में भूदान यज्ञ को आरम्भ हुए पाच वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब देश में हजार-दो हजार कार्यकर्ता पूरा समय देकर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साह से आदोलन में आते हैं। चाड़िल में, बोधगम्य में या पुरी में आवाहन हुआ, विनोबाजी का या जयप्रकाशजी का भाषण सुना, भूदान-यज्ञ का अच्छा साहित्य पढ़ा और इसके फलस्वरूप भूदान-यज्ञ में काम बरने की इच्छा हुई। काम भी उत्साह से कुछ दिन किया। लेकिन काम में प्रगति नहीं हो रही थी। जयप्रकाशजी, शक्तररावजी, सत नुकडोजी आदि महान्‌भावों के दौरे करवाए। उससे काम में कुछ गति आई। लेकिन ज्योही उनके दौरे समाप्त हुए, त्योही साधारण कार्यकर्ता और गहरी निराशा में ढूब जाता था। भूदान प्राप्त करना केवल वडे आदमी का ही काम है अंसी प्रतिक्रिया उसके दिल पर होती थी। राजनीतिक पार्टी के लोगों से नगण्य-सी भदद भिलती थी। कभी-कभी विरोध भी होता था। जिलों में घूमते-घूमते सप्ताह पर सप्ताह एवं मास पर मास निकल जाते थे। लेकिन भूमि-प्राप्ति में, कार्यकर्ताओं को जुटाने में कोई सास प्रगति नहीं होती थी। तब कार्यकर्ता निराश होते थे। तब उनकी समझमें नहीं आता था कि क्या किया जाय?

यार-चार निष्कल प्रयत्न बरने वाला कार्यकर्ता निराशा की साई में तो ढूब जाता ही है, साथ ही साथ उससे भूदान के बाम को भी ठैस पहुंचती है। कार्यकर्ता भाले पर भूमिदान-सप्तिदान दिये बगैर उन्हें टालने की लोगों को आदत लगती है। गामान्य जनता इस मार्ग पर अविद्यारा भी करने लगती

है। नये कार्यकर्ता आने की हिमत नहीं करते हैं और पुणे कार्यकर्ता ही भी रेंटीरे पास छोड़ देते हैं। निष्फल काम करने से इस तरह हालत दिवालि बदतर होती चली जाती है। कार्यकर्ताओं में गलानि आकर वे जड़ बन देते हैं। ऐसे अधूरे निष्फल प्रयत्न करनेके बजाय कुछ न करना ही अच्छा है।

ऐसी हालत में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता थे। अन्य स्थानों के भी ऐसे होते। तब १९५३ के अगस्त में मध्यप्रदेशके कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम अकेले भी ही पास नहीं कर सकते। हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके बाद तो १९५४, ५५ में सामूहिक छूटपुट प्रयोग चले। अक्टूबर १९५५ से लगातार सामूहिक पदयात्राएँ हुईं नतीजे आश्चर्यजनक आए हैं।

सामूहिक पदयात्रा बदलात है

तबसे मध्यप्रदेश में सामूहिक पदयात्रा की कल्पना चल पड़ी है। सामूहिक पदयात्राके लिए २०-२५ टोलियों में बैंटकर कार्यकर्ता निकल पहते हैं। इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में नई जान आई है। अकेलेपन की निराशा की जगह एक नया उत्साह, जात्यविश्वास और भाईचारा बढ़ा है। सालभर में थोड़ा समय देनेवाले कार्यकर्ताओं के समय और शक्ति का पूरा लाभ मिल जाता है। भूदान के काम की जन-आनंदोलन वा रूप प्राप्त होता है, जनता भी, आनंदोलन वे प्रति थोड़ा बदती है। और एक ऐसा बातावरण बनता है कि आनंदोलन वा उपहास करने वाले भी गम्भीरतापूर्वक सोचने लगते हैं। इस सामूहिक पदयात्रा के कारण गाव-गाव में भूसात वा सन्देश पहुंचता है, साहित्य विषयता है, भूदान-नगर के ग्राहक बनते हैं और अच्छी ताशद में भूमिध समर्पित के दानपत्र मिलते हैं। इन सब वे अलावा एवं अच्छा कार्यकर्ता वर्ग तैयार हो जाता है। उनकी साठन-साक्षित और बौद्धिक योग्यता बढ़ती है और भागे के काम की जिम्मेदारी उठाने के लिये उनको आगे आने का उत्साह मिलता है। तो यह सामूहिक पदयात्रा क्या है? इस तरफ को हम जानें। क्योंकि यह एक नई धीज है। इसका तत्व भीरे-भीरे विचासित हो रहा है। यह बात हमारे मार्यादी श्री पाटनबर जी सूझी, श्री षटुगिट नाराइन जी रामानार प्रसाद जी इमर्जो गमायनाओं

को प्रकट किया, श्री. आर के पाटील, श्री वसतराव बोबटकर, श्री. जसवतराय आदि अनेकानेक साथियों ने इसके भिन्न-भिन्न अगों को विकसित किया। आज इस प्रथल के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में उत्साह की लहर आ गई है। सब कार्यकर्ता इस काम में भिड गये हैं। मध्यप्रदेश में गत ८ माह से नागपुर विभाग के १५ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक अखड़ यात्रा की है। इसलिए इसके तत्र के तफसील में हम जायें।

• • •

२ सामूहिक पदयात्रा का तंत्र

सामूहिक पदयात्राके लाभ हासिल करने के लिये हमें बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। जो दीर्घकाल तक कार्यकर्ताओं को निष्ठा, श्रम एवं कुशलतासे ही सभव हो सकती है। इस प्रकार की पदयात्राओं का कार्यक्रम कम-से-कम एक तालुके भे याने ३०० गांवों में होना चाहिये।

जनसेवकों का सहकार

आज जनसेवक भिन्न-भिन्न पक्ष, पथ में बट गये हैं लेकिन सब भूदान के लिये अनुकूल हैं। उन सबसे व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग मिलकर उनको एक जगह लाना चाहिये। उन सबका इस काम में सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

प्रात के सब से प्रमुख कार्यकर्ताओं में से किसी को या सामूहिक पदयात्राओं के डिविजन सगठक को पूर्व तैयारी के १५ दिन पूर्व तैयारी के क्षेत्र का ३दिन का दीरा पूर्व करना चाहिये। शिविर का स्थान, खर्च का प्रवध, सामूहिक पदयात्रा की अवधि प्रमुख कार्यकर्ताओं को बतलाना, पूर्व-तैयारी के प्रथम दिन कुछ स्थानिक कार्यकर्ताओं को अपस्थित रखना, वितरण किन गांवों में कितना करना है जिसकी फेहरिस्त बनाना, पूर्व-तैयारी में आनेवाले कार्यकर्ताओं वा परिचय स्थानिक व्यक्तियों को देना, पचें और स्थानिक जानकारी (गांवों की स्थाया, नवदाता आदि) प्राप्त कर रखना आदि कार्य करके रखना चाहिये। असर्वे पूर्व-तैयारी करने में बहुत सहायित होंगी।

पदयात्रा संगठक की भूमिका निष्पक्ष और निवैरता की होनी चाहिये। भूदान आदोलन पर उसकी अनेक अड़ा हो। सब पक्ष-पक्षों के बारे में उसके दिल में समान भाव हो। भिन्न भिन्न पक्षीय कार्यवताओं के प्रति आदर और उनके स्वाभिमान की रक्खा करनेकी क्षमता उनमें होनी चाहिये। तभी सबका सहकार मिलेगा। ऐसे सज्जनों की एक बैठक आमत्रित करके उसमें निम्न बातें समझ करनी चाहिये।

१ पदयात्रा का समय, टोलिया निकालने का समय कौनसा रहे यह पहले तय किया जाये। बने जब तक उस क्षेत्र के, लिए अनुकूल समय ढूढ़ना चाहिए। लेकिन अब प्रात भर में ६ महिनों में अखण्ड सामूहिक पदयात्रा करनी है। अतः अब अनुकूल समयका स्थाल गोण हो जाता है और यात्राओं के सातत्यका स्थाल प्रधान हो जाता है। अतः यदि किसी समय कोई भी क्षेत्र अनुकूल न हो, तो भी किसी न किसी तहसील में पदयात्राओं का आयोजन हम करें। क्योंकि अगले समेलन तक भारत के हर गाँव में सदेश पहुचाना है।

पदयात्रा की सफलता जिन पर निर्भर है, ऐसे पाच-सात कार्यवताओं को व्यक्तिगत रूप से वह समय अधिक अनुकूल हो।

२ मेहमानों को नियन्त्रण—सामूहिक पदयात्रा की पूर्व-तैयारी, शिविर सचालन, पदयात्रा का उद्घाटन और अन्तिम समारोह के लिये मेहमानों की जरूरत होती है। बैठक में सर्व सम्मति से उनके नाम पसन्द करने

३ काम का धंटयारा—कार्यवताओं द्वी इस बैठक में आपात में पाए बा धंटयारा परके हरेक के ऊपर जिमोदारी डालनी चाहिये। काम पा स्वरूप सापारणतया निम्न प्रारंभ करना है—

(क) कार्यकर्ता प्राप्ति करना—२५ टोलियों निकालने वे लिये गए पक्ष-पक्ष परामर्श द्वारा होने चाहिये। इसमें लिये विभिन्न पश्चालों गे गिनतर उनमें पार्यान्तर्य गे पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिये कार्यकर्ताओं द्वी भग्नुरोग-प्रा लियाने चाहिये। गयोंनक प्रदेश भूदान गमिति द्वी और गे

तहसील भर के सब कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिये एक परिपत्र द्वारा आवाहन किया जाये (परिशिष्ट न १)। जनपद, नगरपालिका, हाईस्कूल तथा कालेज के अधिकारियों से मिलकर उनका सहयोग इस काम में प्राप्त किया जाये, स्कूलों में सभाओं का आयोजन कर अध्यापकों व छात्रों को पदयात्रा में भाग लेने के लिये उत्साहित करना चाहिये। इसके लिये प्रभावशाली व्यक्ति को साथ ले जाना ठीक रहता है। पूर्वतैयारी में प्रमुख कार्यकर्ताओं को अवश्य भाग लेना चाहिये।

वैसे ही जिन्होंने दान दिया है उनका सहकार हम मार्गे। हर दाता कार्यकर्ता बने ऐसी विनोदाजी की इच्छा है। हर आदाता से सपत्निदान लेकर उसे दाता बनाया जाय। ऐसे सब दाताओं का सहकार लेने का वर्धा तहसील में अक्तूबर ५६ में प्रयत्न किया गया। २००० दाताओं में से ७०० दाता सप्ताह में आए और उन्होंने अच्छा काम किया। यह प्रयत्न हर क्षेत्र में होना चाहिये।

(ख) जनतासे सम्पर्क—पदयात्रा के पूर्व बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण गांवों में पहुचना चाहिये, वहाँ के जमीदार, बड़े-बड़े किसान, थोमान, वकील, डाक्टर तथा वहनों आदि की छोटी-छोटी सभाये लेनी चाहिये। उनको विचार समझाना चाहिये और दानपत्र प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन्होंने जमीन दी है उन्हे साथ लेकर अन्य लोगों के पास पहुचना चाहिये। किस तहसील में कौन विरोधी है इसकी पूरी जाच कर लेनी चाहिये ताकि पदयात्रा के समय उसका व्यान रखकर योग्य व्यक्ति वहाँ भेजा जा सके। वातावरण बनाने के लिये अनुकूल गांवों के दसन्वारह केन्द्र चुनकर वहाँ प्रत्यक्ष दानपत्र इकट्ठे करने चाहिये ताकि धीरे-धीरे तहसील में अनुकूल वातावरण तैयार हो जावे।

(ग) प्रचार कार्य—ठीक ढंग में प्रचार कार्य करने पर अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। इनके लिये पूर्व तैयारी करनेवाले कार्यकर्ताओं के पास भूदान वा पूरा साहित्य तथा पेम्फेटम् होने चाहिये। भूदान समिति के संयोजक जनता के नाम एवं निवेदन-पत्र प्रकाशित कर भूदान व मम्पत्ति दान में

हिस्ता लेने के लिये जनता को प्रोत्साहित करे। वडे-वडे नेता भूदान के बारेमें क्या कहते हैं इसका भी एक छोटा पेम्फलेट हो। गरीब भी दान क्यों दे, जमीनका घटवारा कैसे किया जाता है, इसके भी परचे उपवाकर देहातों में बाँटने चाहिये (परिशिष्ठ १, २, ३, ४)। तहसीलके बाजारों के दिन भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। गाव-गावम दीवारों पर भूदान के घोषन्याक्य लिखने चाहिये, स्कूल में जाकर बच्चों को भूदान-नीति पढ़ाने चाहिये और जिस गावमें उत्साही कार्यकर्ता या अध्यापक हो वहाँ भूदान-फेरी निकालनी चाहिये, भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाने चाहिये और कुछ अक मुफ्त भी देने चाहिये। कलापथक का देहात में खूब असर होता है। इस प्रकारके नाटक का भी आयोजन करना चाहिये। इस तरह अपनी तहसीलमें टोलियाँ निकलने वाली हैं, भूदान-न्यज्ञ का काम शुरू होनेवाला है इसकी जानकारी चारों ओर फैल जानी चाहिये।

(घ) खर्च की व्यवस्था—पूर्वतंयारों के लिये तहसील भर में घूमना, शिविर लेना, पद यात्रा के लिये बाहर से मेहमान तथा कार्यकर्ताओं वो बुलाना, कलापथक, पेम्फलेट, उद्घाटन तथा अन्य समारोहों में तहसील में कम-से-कम एक हजार रुपये का खर्च आ सकता है। इसके लिये बाहर से जो मेहमान या कार्यकर्ता आते हैं उनका खर्च (साहित्य विक्री) कमीशन या केन्द्रीय समिति से प्राप्त किया जाये, मोटरवालों से मुफ्त टिकिटों वा इन्तजाम हो सकता है। शिविर भोजन आदि वा खर्च स्थानीय जनता से अनाज और नकद रुपयों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार पदयात्रा का उद्घाटन और आखिरी दिन का समारोह जनता के सहयोग से सम्पन्न किया जाना चाहिये। बाहर के पैसों के बलपर बाम न किया जाय।

बाहरी कार्यकर्त्ताओं का सहयोग—२०,२५ टोलियों के लिये एक तहसीलमें ही सुयोग्य कार्यकर्ता मिलना जरा कठिन ही होता है। इसलिये तहसील के बाहरके कार्यकर्त्ताओं को बुलाना पड़ता है। जिन कार्यकर्त्ताओंको बाहरसे बुलाना हो उनको व म-से-कम एक माह पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिये। पूर्व तंयारी के लिये व म-से-न्यम ५-६ कार्यकर्ता पूरा समय देनेवाले और १५ दिन तक सतत पूमनेवाले होने चाहिये।

इस सप्ताह में न केवल नई जमीन प्राप्त करनी है, बल्कि पुरानी जमीनका वटवारा भी कर डालना है। अतः पूर्व तैयारी के आरभ के दिन जो जमीन बाटने योग्य है ऐसे गावों की फेहरिश्त बनाकर वितरण की तारीखे (पदयात्रा सप्ताह में) तय कर डालनी चाहिये। पूर्व तैयारी में उन-उन गावों में जाकर ७ दिन पूर्व वितरण की सूचना ढुम्गी द्वारा दे देनी चाहिये। दाता को भी सूचना देनी चाहिये। यदि जमीन देखी न हो तो पूर्व तैयारी के दिनों में जमीन देखकर उसे कितने कुटुंबों को देना है यह तय कर डालना चाहिये। वितरण का सारा आयोजन पूर्व तैयारी में कर डालना चाहिये। ५०० एकर तक का वितरण पदयात्रा सप्ताह में इस पद्धति से हो जावेगा। जहाँ इससे अधिक वितरणयोग्य भूमि हो वहाँ पूर्व तैयारी में कुछ अधिक आयोजन करना होगा। ऐसे क्षेत्रों में पूर्व तैयारी के लिये कुछ अधिक कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ेगा। लेकिन हर हालत में पुरानी भूमि का वितरण सप्ताह में हो जाना चाहिये। वितरण के दिन नई जमीन की माग करनी चाहिये और उस गाव के भूमिहीनों के लिये कितनी जमीन लगेगी इसका गणित गाववालों को वितरण की समामेसमझाना चाहिए। जो नई जमीन उस दिन मिले उसकी जाच-पड़ताल कर उसे उसी दिन बाट देनी चाहिये। जमीन फौरन बाटने से बहुत अच्छा वातावरण बनता है।

सावधानी

पूर्वतैयारी करते समय हमें दो बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिये। अनुकूल लोगों की शक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहिये। और जो लोग विरोधी हैं उनका कम-मेरकम असर हमारे काम पर पड़े। जो विरोध करते हैं या उदासीन रहते हैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की जाय। लेकिन उनको अनुकूल बनाने के लालच में ही हम सब शक्ति और समय बरखादन कर दें इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

पूर्वतैयारी की कसीटियाँ

(१) हर एक टोड़ीमें धूमने के लिये २-४ यानी १०० कार्यकर्ताओं का आवागन मिला हो।

(२) खर्च का इतजाम हो गया हो।

(३) देहातों में सब जगह भूदान की चर्चा लोग कर रहे हो।

(४) कम-से-कम ५० भूदान और ५० सपत्तिदान-पत्र प्राप्त हुए हो।

शिविर

पदयात्रा के पूर्व कम-से-कम दो दिन के शिविर में भूदान के राजनीतिक, आध्यात्मिक अवैम् सामाजिक सभी पहलुओं को लेकर विभिन्न बक्ताओं के अध्ययनपूर्ण भाषण हों। बक्ताओं को पहले से उनके विषय (परिशिष्ट ५ देखें) के बारे में सूचना कर देनी चाहिये। शिविर की वौद्धिक चर्चा के कारण नये कार्यकर्ताओं अच्छे प्रचारक बन जायेंगे। उन्हें व्यावहारिक सूचना भी दे (परिशिष्ट ६)।

टोलियोंकी छंटनी

शिविरमें आनेवाले कार्यकर्ताओं और टोली नायकों की सह्या और योग्यता के अनुसार पदयात्रा के क्षेत्र के देहातों को टोलियों में बाट लेना चाहिये। एक टोली बड़े देहात में एक दिन काम करेगी और छोटे गाँव एक दिन में दो, सबसे एक तो शाम को दूसरा। इस प्रकार सप्ताह में कम-से-कम दस स्थानों पर एक टोली घूम सकेगी। प्रत्येक टोली में एक बक्ता और एक उन गाँवों की जानकारी, रखनेवाला कार्यकर्ता हो। इसके अलावा एक-एक गाँवेवाला भी मिल जायें तो ठीक रहेगा। टोली नायक के पास एक आदर्श भाषण की प्रति देनी चाहिये। इससे नये कार्यकर्ता वह भाषण देहातियों को पढ़कर सुनायेंगे। (परिशिष्ट ८)। टोली नायक को जिन गाँवों में वह टोली घूमने वाली है, उसका एक नक्शा देना चाहिये, तथा उसको उन देहातों की पूरी जानकारीने वाकिफ करा देना चाहिये, ताकि वह यह जान सके कि कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। टोली नायकको सबसे अनुकूल गाँव से अपना काम शुरू करना चाहिये। टोली नायक का चुनाव कुशलतापूर्वक किया जाय। जहाँ जिसका अधिक उपयोग हो—वहाँ उसकी योजना फरे। वहै नेताओं के लिये कुछ अलग कार्यक्रम बनाये ताकि अधिक-नी-अधिक दानपत्र मिल सके, कार्यकर्ता सेयार हो सके और अच्छा प्रचार हो।

आशीर्वचन

टोलियाँ जब धूमने के लिये निकले उस बबत एक अच्छा खासा समारोह आयोजित किया जाय। स्थानीय लोगों की ओक आम सभा बुलाई जाय वहाँ किसी बड़े मेहमानका भाषण हो। फिर सभा में पदयात्रियों का कुंकुम-तिलक लगाकर स्वागत किया जाय। मेहमान द्वारा हरखेक टोली नायक को ओक थेली भेंट की जाय जिसमें भूदान तथा सर्वोदय साहित्य, भूदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान और साधनदान के दानपत्र हों। भूदान-पत्रों के नमूने के अंक, रसीद बुके तथा प्रचार के लिये छपे हुये पेम्फलेट आदि हो। अन्तमे नेता टोलियों की सफलता के लिये शुभाशीर्वाद प्रदानकर कार्यकर्ताओं को बिदा करे।

पदयात्रा

इसके बाद टोलिया अपने नियोजित क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। गाव में पहुंचते ही भूदान-फेरी निकालकर लोगों को सभा के समय तथा स्थान की सूचना दी जाय। आम सभा में भूदान-गीत तथा भाषणों द्वारा लोगों को विचार समझाया जाय तथा दान भाग जाय और भूमि का बटवारा हो। जिन से दान मिला उनको पहुंच देना चाहिये (परिशिष्ट ७ देखें)। साहित्य विद्री अन्त में हो। फिर गाव में घर-घर जाकर लोगों को समझाकर भूदान-प्राप्ति का प्रयत्न करना, साहित्य बेचना, भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाना, मजदूरों की हालत देखना तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपने गावका भूदान का काम चलाने के लिये तैयार करनेका कार्यनम रहेगा। गाव में रहनेवाले कार्यकर्ताओं को टोली के साथ दूसरे गाव में लेने की कोशिश हो और गाववालोंको समारोह में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया जाय। हर गाव में क्या काम किया इसका पूरा विवरण टोली नायक को लिखकर रखना चाहिये।

पदयात्रा समाप्ति समारोह

बाद में टोलियों के कार्यकर्ता अन्तिम दिन फिर नियत समय पर इकट्ठे हों। टोली नायक अपना अहवाल एक विवरणपत्र पर भरकर भूधटक को दें (परिशिष्ट ९ देखें)। पदयात्राओं के दौरान में गावों में इस काम का दायित्व लेने की दृष्टि से

जिन लोगों को तैयार किया गया हो वे भी समारोह में भाग ले। सब एक साथ बैठकर अपने-अपने अनुभव सुनाये। पदयात्रा में जो कठिनाइया या सवाल पैदा हुये हो उनपर चर्चा की जाये।

आगे के काम का संकल्प

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में शिथिलता आनेका डर बना रहता है। इसलिये हमारे मन में यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये कि सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम काम को गति देने का कार्यक्रम है। इस दृष्टि से समाप्ति समारोह के दिन जो बैठक चले उसमें आगे के काम की योजना तय करनी चाहिये और उस क्षेत्र के किसी एक भाई पर काम की जिम्मेदारी ढालनी चाहिये। बैठक में भूमिप्राप्ति, वितरण, साहित्य विकास, कार्यकर्ता तैयार करने तथा भूदान पत्रों के ग्राहक बनाने आदि के सकल्प होने चाहिये। जीवनदान के लिये कार्यकर्ताओं को आवाहन करने से जीवनदानी मिल जाते हैं।

अनुभव से यह पाया गया है कि सामूहिक पदयात्रा के कारण सब गावों का एक नवशा सामने आ जाता है। कार्यकर्ताओं की परख हो जाती है। और उस आधार पर जो आगे की योजना बनती है वह पर्खियाँ होती हैं।

आम सभा

इसके बाद इसी दिन एक आमसभा का आयोजन कर सप्ताह भर में जो काम हुआ है असकी जानकारी लोगों को करानी चाहिये। पदयात्रा के लिये जो खबर हुआ वह सारा वर्हा पेश करना चाहिए और आगे के काम की उपरेका गमननी चाहिये। जनता तथा कार्यकर्ताओं को उसमें सहयोग देने का आवाहन करनेके बाद भूदान गीतों और जयचंद्रों के साथ सभाका विसर्जन करना चाहिये।

• •

३ कार्यकर्ताओं से

शिविर में कार्यकर्ता आनेपर उन्हे भूदान के सब पहलुओं से परिचित कराया जाय। इस शिविर का एक अभ्यासक्रम ही रखा जाय। उसके साथ सब को गाने की तालीम दी जाय। हरएक कार्यकर्ता वो भूदान के गाने शिविर में मिखाने चाहिये। इमलिये शिविर में मामूलिक भूदान-गीत गाने का अभ्यास बमसे-कर्म दो धण्टो का रखा जाय। इससे कार्यकर्ताओं की उमग बढ़ती है और बातावरण भी उत्साह में भर जाता है। ऐसे ही नये कार्यकर्ता को भाषण देनेकी तालीम दी जाय। भाषण में कौन-न्सी बाते आनी चाहिये यह हम उन्हे समझावे। नये लोगों के भाषण भी करवाओ जायें। इसके लिये एक स्टैंडिं भाषण हमारे पास हो (परिशिष्ट ८ देखें)। उसके आधार पर देहात में जाकर नये कार्यकर्ता भाषण देंगे। शिविर में योड़ी-न्सी तालीम मिलने के कारण और देहातमें भाषण देनेका अभ्यास बढ़ने के कारण कामकर्ता जल्द ही अच्छा भाषण देने लगता है।

ऐसे जो कार्यकर्ता प्रचार के लिये जायेंगे उनको शिविर के सचालक भाई के द्वारा निम्नलिखित बातों से परिचित कराया जाना निहायत जरूरी है। भूदान का तत्वज्ञान तो समझा, लेकिन उसपर अमल करने का तरीका भी कार्यकर्ताओं सधना चाहिये। ज्ञान और कला मिलाकर पूर्णता आती है।

निम्न बातों पर स्थाल देना निहायत जरूरी है—

सबके लिये समझाव

भूदान आदोलन किसी एक पक्ष का आदोलन नहीं है। भिन्न-भिन्न राजतंत्रिक सम्भावों में काम करनेवाले, भिन्न-भिन्न धर्म को साजनेवाले, भिन्न-भिन्न सेवा के क्षेत्र में काम करनेवाले इस आदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। यह सब का अपना माना गया आदोलन है। सबका यहा स्वागत है। लेकिन यहा

आने पर अन्हे अपना-अपना लेवल भूल जाना चाहिये। हम केवल मानवमात्र हैं और मानवता की सेवा करने के लिये आये हैं ऐसा वे समझें।

भूदान का मच सब पक्षभेदवालों को आपस में प्रेम से मिलने का एक पवित्र स्थान है। उसे हम पक्षगत प्रचार से गदा न करे। इससे वे आत्मस्तुति और पर्वनिदा से बचेंगे। सीमित दायरे के बाहर आकर जनता से एकरूप हो सकेंगे। सबके विश्वासन्याम बनकर सबका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह अहकार छूटने से—भूदानमय होने से—वे अजातशत्रु बनेंगे।

२. कार्यकर्ता के मन में आस्तिक भावना होना निहायत जरूरी है। हरएक मनुष्यमात्र में गदभावना होती है ऐसा विश्वास दिल में रखकर कार्यकर्ता दान के लिये आवाहन कार्यकर्ता के दिल में जितनी लगन होगी, उसका चरित्र जितना उज्ज्वल होगा और लोगों के साथ घुलमिल जाने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही वह अपने कार्य में यशस्वी होगा। आत्मविश्वास के साथ वह काम करे। सामने वाले के बारे में विश्वास और अपनी बातकी सचाईमें सामर्थ्यमें—विश्वास यह सफल कार्यकर्ताका सर्वप्रथम लक्षण है।

३. हर गाय में सभा हो

सर्वोदय वी भावना लोगों में फैलानी है। जमीन वा चदा इवट्ठा बरना नहीं है। आम सभा विचार-प्रचार वा सर्वोत्तम साधन है। अनपढ़ होने के बारण आम लोग वितावें नहीं पढ़ सकते हैं। आम सभा से ज्यादहन्में ज्यादह लोगों के पास थोड़ी अवधि में पूरा विचार जाता है। सभा से गरीबों में जागृति पैदा होनी है और भूमि वाले भाईदेवि दिल को छूने वा भोका मिलता है। अन्याय का आम सभा में प्रगट पारने से पीछित लोगों वी हिम्मत बढ़ती है। अन्याय वे खिलाफ एवं नीतिक शविन दड़ी होती है। इसलिये बुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में गम्भ न हो। लोग जितने दिन तक अपेक्षा में, अज्ञान में रहेंगे उसना द्वन्द्वा संपत्ता है। वे पहने हैं हम आप वी जमीन देंगे, लेकिन हमारे गाव में सभा भा लीजिये। इगंगे लोगों में जागृति पैदा होगी। ऐसे गम्भ जो पार्यवर्ती सभा नहीं होने हैं और जमीन मिलने से ही कम हो गया ऐसा मानते

हैं वे रिश्वत लेते हैं। हम को घोपणरहित समाज का आदर्श जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिये। हमारा मुख्य शस्त्र विचार-प्रचार है। विचार समझे बिना मिली हुआ जमीन किस दाम की?

गाव में गुटवदियाँ होती हैं। स्पृश्यास्पृश्ये भेद-भावना होती है। इसलिये सभा ऐसी सार्वजनिक जगह लेनी चाहिये जहा सब जाति के लोग, सब गाव वाले स्त्री-पुरुष बिना मकोच आ सके। सभा बुलाने का काम खुद कार्यकर्ता को करना चाहिये। गाव के मुखिया के भरोसे सभा नहीं छोड़नी चाहिये। गाव के स्कूल में जावर विद्यार्थिओं को गीत सिखाकर, नागरिकों की और विद्यार्थिओं की फेरी निकालकर सभा की डुगी भूदान कार्यकर्ता खुद दें। आम-सभा शुरू होने के पहले ही गाव के जो अनुकूल और सज्जन आदमी हों—भले ही वे गरीब हो—उनसे कार्यकर्ता मिले और उनको दान देने के लिये प्रवृत्त करे। आमसभा में यदि गाव का श्रीमान या मुखिया दान नहीं देता है तो गरीब लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं। इसलिये पहले से ही यदि ऐसे दाता तैयार करके रखें तो सभा में आवाहन होने पर अन्य अनुकूल लोग—मुखिया या श्रीमान् वे न देने पर भी—अपना दान जाहिर करते हैं। और फिर दूसरे लोग भी दान देने की हिम्मत करते हैं।

सभा की शुरूआत गाने से हो। लोगों को विचार समझाने के बाद भूदान के पावन प्रसाग सुनाने चाहिये। उस इलाके के, उनके फौसी लोगों के गाव-वालों के—दान के प्रसाग उनके सामने रखने से वे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आवाहन करने पर विश्वासपूर्वक दान देते हैं। इस तरह कार्य करने से हरएक सभा में दान मिल ही जाता है। यदि सभा सफल रही तो दान मिलता है और गाव में खूब अच्छा काम होता है। सभा के अत में हम गीत गाएं और धोप करे। बाद में साहित्य विक्री करनी चाहिये।

(४) सभा में दान मागने पर गाव का काम पूरा नहीं होता है। सभा में विचार समझने पर दान देने की कईओं की इच्छा होती है। लेकिन उनको कुटुंब के अन्य सदस्यों की सम्मति की जरूरत होती है। कई व्यावहारिक दिक्कतें

उनके सामने आती है। कोई सकोच के कारण अपनी शका आमसभा के सामने नहीं रखना चाहते हैं, कोभी गुप्त दान करना चाहते हैं, कोई सभा में गैरहाजिर ही रहते हैं। ऐस प्रकार कई तरह के लोग बच जाते हैं। उनसे घर-घर जाकर मिलना चाहिये। अनुभव तो यह है कि सभा के दान से दुगुना तिगुना दान वाद में घर-घर जाने पर प्राप्त होता है। सभा में व्यापक काम होता है और घर-घर जाने से वह गहरा होता है।

गाव में दान मागने के लिये जाने के समय किसी के घारे में पूर्व ग्रह बनाकर नहीं जाना चाहिये। कई कजूस माने जानेवाले दान देते हैं। गाववालों के द्वेष मत्सर का हम हमारे ऊपर असर न होने दें। हरएक के घर प्रेम से जाना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। काफी कटुप्रसंग निराशाजनक अनुभव आयेंगे। लोग गालियाँ भी देंगे। खास करके आज की मरकार और राजनीतिक पक्षों पर लोग काफी बटुआलोचनाओं करते हैं। हमको भी उसमें घमीटने वा प्रयत्न करते हैं। हम यह शाति से सहन करे। और प्रेम से हमारी वात अनुको समझावे। विनोबाजी कहते हैं 'जो देता है उसे थेक नमस्कार, और नहीं देता है उसे दो नमस्कार करो'।

गाव में दान मागने के लिये कार्यकर्ता को अकेले नहीं जाना चाहिये। साथ में गाववालों को लेना चाहिये। जो कोई दान देता है उसे साथ लेकर आगे घढ़ना चाहिये। थोड़ी ही देर में गाव वाले बोलने लगते हैं। ज्यादहसे-उयादा लोगों में दानपथ मिलाने की भावना उनमें निर्माण होती है। और जब तक गाव के सब लोग दान नहीं देते तब तक अन्हें चैन नहीं मालूम होती है। दाता को कार्यकर्ता बनाने वा यही मौका है। अगरे गाव में बड़ा अच्छा बातावरण पैदा होता है। जब २०-२५ दाता दान मागने के लिये गाव की गली-गली में पूमवर पर-घर जाते हैं तब बड़ा आनंद आता है। ऐसे दाता की टांली को टालने वीं पोई हिम्मत नहीं बरता है। गाव में आदोलन-ना निर्माण होता है। आदोलन जनता के हाथ में देने का यह एक धड़िया तरीका है।

जिस गाव में हम याम बरते हैं उस गाव के याम वीं नोट तैयार की जाय। औन कार्यकर्ता है, गमा में यिनने लोग आये, तिनने लोगों ने दान दिया, गाव में

कितने लोगों से मिले, किसने क्या जवाब दिया, किसने ज्यादा किताबें खरीदी यह सब हम नोट में लिखे। इससे आगे के काम की योजना बनाने में सुविधा होगी और दुबारा अस गाव में काम करने के पहले पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। घर-घर जाते वक्त साहित्य खूब बेचे, भूदान पत्र के ग्राहक बनाये।

(५) भूदान-पत्र और साहित्य प्रचार

भूदान आदोलन की सारी दारोमदार विचार परिवर्तन पर है। भूदान-पत्र हमारा सर्वोत्तम साहित्य है। असका सर्वप्रथम प्रचार होना चाहिये। किताबें तो पुरानी हो जाती हैं। एक बार खरीदने के बाद बद करके भी रख देने का डर रहता है। लेकिन भूदान-पत्र तो हर हफ्ते जाता है, खटखटाता है। असमें नित्य नये विचार आते रहते हैं। और विविध लेखकों द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिसे सब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कार्यकर्ता वार-वार तो नहीं जा सकता। उसकी शक्ति भी सीमित होती है। लेकिन भूदान-पत्र के द्वारा हर हफ्ता पूर्ण विनोदाजी, जयप्रकाशजी आदि बड़े नेता ही मानो ग्राहक से मिलने जाते हैं। देशभर की महत्वपूर्ण घटनाये उसमें होती है जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। पत्र द्वारा कार्यकर्ता को शिक्षा मिलती है। जनता को कार्यक्रम दिया जाता है। आदोलन को ठीक दिशा में मोड़ने में और आदोलन का सचालन करने में पत्र का बड़ा भारी उपयोग है।

भूदान पत्र का यह सामर्थ्य हम स्थाल में रखकर हरएक देहात में कम-से-कम एक ग्राहक आवश्य बनायें। स्कूल, ग्रामपञ्चायत, कार्यकर्ता, श्रीमान या गरीबों से चदा डक्ट्ठा करके भी भूदान-पत्र को गाव-गाव में शुरू करना आसान है। वर्धा तहसील में ३०० देहात हैं। वहां भूदान-पत्र के ५२७ ग्राहक बने। यह सब जगह हो सकता है। जिस गाव में भूदान-पत्र नहीं गया उस गाव में हमारा काम ही नहीं हुआ ऐसा मानना चाहिये। भूदान-पत्र को शिक्षक या कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से गाव में पढ़ने वा भी हम इतजाम करे। इसके साथ साहित्य भी खूब विकला चाहिये।

(६) भूदान के साथ-साथ सपत्तिदान को भी उतना ही महत्व देना चाहिये। जितने भूदान-पत्र मिले अुतने ही सपत्तिदान पर मिलने चाहिये। भूदान और सपत्तिदान, दोनों दानपत्र ठीक से भर लेना चाहिये। सपत्तिदान की रकम हमें लेनी नहीं है। साधनदान प्राप्त करते समय सपत्तिदान पर अुसका असर न पड़े ऐसी सावधानी हम रखें।

(७) कार्यकर्ता निर्माण

हम ही क्रातिकारी हैं ऐसा कार्यकर्ता न समझें। देहात में काफी अच्छे कार्यकर्ता पड़े हैं जिनकी हम को पहचान नहीं है। हमारा काम केवल भूदान-मागना, विचार प्रचार करना ही नहीं है। गाव-गाव में जो निष्प्रिय सज्जन पड़े हैं अुनको जगाना और उन्हे इस काम के लिये प्रेरित करना है। देहात में काफी हृदयवान लोग पड़े हैं। हमारा काम ऐसे हृदयवान, दिलबाले आदमी की खोज करना, अुसे यह विचार समझाना, अुसके आधार पर गाव में काम खड़ा करना है। अुस गाव में काम शुरू करके आगे के काम का बोझ अुस पर ढालना है। ऐसे कार्यकर्ता को हम गाव में साथ तो रखेंगे ही, लेकिन हमारे साप्ताहिक पदयात्रा म दूसरे गावों में भी उसे साथ ले चलेंगे। अुसका परिचय बढ़ेगा। काम करने की शिक्षा अुसे मिलेगी। अुसके साथ हम चर्चा भरे। अुसे साहित्य पढ़ने को दे। और धीरे-धीरे समयदान देने के लिये उसे प्रेरित करे। और जहाँ साप्ताहिक समारोह का अन्तिम दिनका गाव होगा वहा उसे लाकर समयदान की घोषणा अुसके मुख से करायें।

इस प्रथारसे हर पाच दस गाव से एक जीवनदानी मिल सवता है। अलावा इनके सूच पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता भी मिलेंगे। हर गाव से बम-मे-बम एक जीवनदानी मिले मह हमारा लक्ष एवं तदनुरूप प्रयत्न होगा चाहिये।

(८) हमारा बायंश्रम छोटे-भोटे मुधार या या विवास वा बायंश्रम नहीं है। इगलिये हम हमारी जाकिं इधर-उधर छोटे-छोटे सवालों में और बामों में न गच्छ परे। जनाम भी हम गुधार और जाति का भेद समझायें और इस देश या गवाल जाति में ही र्में हर होगा यह बतायें।

ऐसा अजातशत्रु, आस्तिक, आत्मविश्वास वाला, लगनशील और तत्रज्ञ कार्यकर्ता हर एक गाव में यशस्वी होकर ही आता है ऐसा आजतक का अनुभव है।

पेरो का सबल, वाणी का रसाल और अत करण का निर्मल पदयात्री धूमता रहे। भगवान् उसके आगे और पीछे खड़ा है, ऐसा विनोदाजी का सब को आशीर्वचन है।

अब सामूहिक पदयात्रा के साथ वितरण जोड़ा जा सकता है—यह अनुभव से पाया गया है। अत पूर्व तैयारी के प्रथम २—३ दिनों में जिन गावों में वितरण करना है अनु गावों में सात दिन पूर्व डुगी पीटना व्यव दाता को सूचना देना ये कार्य हो जाने चाहिये।

स्थानीय परिस्थिति तथा कार्यकर्ताओं का स्तर देखकर इसमें कई व्यावहारिक और तात्त्विक सूचनाये जोड़ी जा सकती हैं।

जो सर्व सामान्य वाते हैं वह उपर आ चुकी हैं। देहात में अनुका काम सफल और आसान कैसे होगा इसका पूरा मार्गदर्शन सघटक ने करना चाहिये जिससे निकलते समय अनुमें उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हो।

• • •

४ अिस तंत्र का क्रमशः विकास

मध्यप्रदेश में २२ जिले थे। कार्य की सुविधा से बुन्हे पांच भागों में वाटा गया था। नागपूर विभाग में चार जिले थे। इन्हीं चार जिले के कार्यकर्ताओं ने अकेले-अकेले अपने-अपने तहसील में धूमने के बजाय सामूहिक पदयात्रा निकालने का तय किया। और काजीवरम् सम्मेलनतक सब देहातों में सदेश पहुचाने का निश्चय किया। फलस्वरूप आठ माह लगातार अखड़ सामूहिक पदयात्रा वा सिलसिला जारी रहा और १० तहसीलों में सामूहिक पदयात्राओं का आयोजन किया गया। इस वर्त्पना वा धीरे-धीरे विस प्रवार विकास होता गया इसका चिन्ह नीचे दिया जा रहा है।

(१) अर्थ स्वावलंबी रचना

सामूहिक पदयात्रा के प्रवास-खर्च, भोजनखर्च, प्रचार कार्य और समारोह आदि के लिये करीब १ हजार रुपये खर्च आता है। मध्यप्रदेश भूदान समिति ने केवल ३०० रुपये ही खर्च देने की जिम्मेवारी ली। बचा हुआ खर्च जनता से ही निकालने का सोचा गया। इसलिये हम ने तथ किया जिस गाव के लोग भोजन खर्च अब समारोह का खर्च करने के लिये तैयार होंगे असी गाव में शिविर और समारोह लेंगे। और भोजन के लिये आज तक कही भी हम को अंक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी शुरू-शुरू में मध्यप्रदेश भूदान समिति को पैसा देना पड़ा। अन्हीं दिनों निधिमुक्ति की बात जोरों से चली, और समिति के पास पैसों की भी कमी थी, इसलिये सब पैसा जनतासे ही लेना चाहिए ऐसा निश्चय हुआ। आवश्यकता में से अकल सूझी। और आसिरी दिनों में भूदान समिति पैसा दे तो भी हम अब नहीं लेंगे ऐसा तथ हुआ। आखरी दो सामूहिक पदयात्राओंकी हालत यह है कि जनतामे ही पूरा पैसा हमको मिला।

(२) राजनीतिक संस्थाओं से संबंध

शुरू-शुरू में राजनीतिक पक्षोंके बिना हमारे लिये बाम करना बठिंग मालूम होता था। जिस तहमील में यह सामूहिक पदयात्रा वा वार्षिक होता था वहाँ वे राजनीतिक वार्षिकता वे ही हस्ताक्षर से जनता को भूदान में हिस्सा भेजने की अपील निकालते थे। पैम्फलेटम् छपते थे। अनंती चिट्ठियाँ लेकर देहातों में जाते थे। लेकिन जिनवे दस्तखत हमारे पत्रको पर रहते थे उनमें से बहुनाश भूदान के लिये बाहर नहीं निकलते थे। वहाँ रुद्ध दान तब नहीं देने थे। जब मात्ताह में मिले दान वा नतीजा जाहिर विया जाता था तब यह हमारे ही बदौलत हुया, इमवा बहुत सारा श्रेय हमको ही है, इमवा लिपित सार्टिफिकेट हमको दो एंगा बुद्ध बहते थे। पेपरों में जाहिर वरते थे और अपनी पार्टी ऑफिसको रिपोर्ट भेजते थे कि यह गव बाम हमने ही विया। इससे अन्य पार्टीयालों में बुरी प्रतिक्रिया होती थी।

इसने भूदान वार्षिकताओं को बहुत अटपटागा लगता था। जनता को भी बुरा लगता था। राजनीतिक पक्षों ही बुद्ध गज्जन वार्षिकता बहने लगे कि

काम तो आप करते हैं, नाम हमारा होता है। हमारा तो जनता पर नैतिक प्रभाव नहीं है। बल्कि आप भूदान कार्यकर्ताओं के प्रति जनता में आदर बढ़ रहा है। ऐसी हालत में भूदान समिति और कार्यकर्ताओं को अपने नाम पर ही सब चलाना चाहिए। बात सच थी। लेकिन उनको टालकर काम करेगे तो रास्ते में रुकावटे आयेगी यह डर मन में था। इसलिये हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों सप्ताह यही बात चली। धीरे-धीरे भूदान कार्यकर्ताओं की स्थिता और क्षमता बढ़ी। जनता उन्हें जानने लगी। अब जो कोई भूदान में हिस्सा लेता है, पदयात्रा के लिये निकलता है, और भूदान के बारे में जिसके दिल में हमर्दी है ऐसे ही नेता को शिविर या सम्मेलन में भाषण के लिये बुलाते हैं। हस्ताक्षर भी भूदान कार्यकर्ताओं के ही रहते हैं। हर एकका सहकार हम व्यक्तिगत रूप से मागते हैं। नतीजा यह निकला कि भूदान कार्य की इज्जत बढ़ी है और कार्यकर्ताओं की शक्ति भी बढ़ी है।

(३) भूदान और संपत्तिदान पर समान जोर

प्रथम जो सामूहिक पदयात्रा हुई उस वक्त संपत्तिदान का विचार कार्यकर्ताओं तक ही सीमित था। बीच मे पूँ जाजूजी का देहात हो गया, तब कार्यकर्ताओं ने संपत्तिदान की ओर अधिक स्थाल देना शुरू किया। कुछ दानपत्र मिलने लगे। भूदान, संपत्तिदान आदोलन यह आर्थिक समता के सिवके के दो पहलू हैं, एक दूसरे बिना अधूरा है, इसलिये दोनों को समान भूमिका पर लाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया। भूदान आदोलन को निधिमुक्त बनाने का विचार देश मे शुरू हुआ। इसलिये निश्चय के साथ कार्यकर्ता संपत्तिदान के काम मे जुट गये। नतीजा यह हुआ कि जनता ने भी इस विचार का स्वागत किया और अब भूदान-संपत्तिदान के दानपत्र लगभग बराबरी से मिलने लगे। इस संपत्तिदान से कुछ जिले अब निधिमुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े रहने की स्थिति में आ गये हैं।

(४) जन-आंदोलन का निर्माण—

चार जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक तहमील मे टोलियाँ निकालवर अव-अव हृणे में प्रचार करना तो ठीक था। बाद में वहाँ वे आदोलन को बीम

चलाये? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। सोचते थे, भूदान-समिति कोई वैतनिक कार्यकर्ता नियुक्त करके आगे के काम को चलायेगी। लेकिन इससे पूरा काम होनेवाला नहीं है। जन-आदोलन तो हरगिज नहीं होगा यह स्थाल में आया। यदि अुस तहसील के कार्यकर्ता सप्ताह में आ सकते हैं, तो क्या वे ५७ तक समय नहीं देंगे? क्या अनुमें से कोई जीवनदान नहीं देंगा? क्यों नहीं आवाहन किया जाय? क्या हम विनोबाजी हैं या जयप्रकाशजी जैसे आदरणीय नेता हैं कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर लोग इतना त्याग करने के लिये सामने आयेंगे? यह सकोच भी बारबार होता था। बाद में सकोच मिट गया। सभा में आवाहन करना शुरू हुआ। जवाब मिला। समय-दान की घोषणाये होने लगी। इससे हिम्मत बढ़ी। अब हर सप्ताह के आखिरी समारोह में ऐसा आवाहन विश्वास के साथ किया जाता है और हर अंक तहसील में कार्यकर्ता समय दे रहे हैं। गोदिया के शिविर में पहले ही दिन १० कार्यकर्ता समयदान देने लगे। अनुका समझाना पड़ा कि सप्ताह भर काम करके निश्चय पक्का करो और फिर समयदान दो। गमाप्ति के दिन वहाँ के ३० कार्यकर्ताओं ने समयदान दिया। किसी को तनखाह या ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। वर्ई कार्यकर्ता कई माह से हमारे भाष्य लगातार धूम रहे हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। घर जाते हैं तो छुट्टी लेकर जाते हैं और समय पर आने पा ध्यान रखते हैं। एवं ने छुट्टी में भी भदानपत्र प्राप्त किये। कोई अनुशासन की कार्रवाई अनुपर होनेवा डर नहीं है। लेकिन श्राति की पुपार समझकर शक्तिभर काम कर रहे हैं।

बव जो वायंवर्ता देहात में भूदान-भद-भाषा निकालने के लिये जाते हैं ये भूदान-भाष्टिदानपत्र तो लाने की चिता रखते ही हैं, लेकिन राष्य-भाष्य समयदानी वायंवर्ता तैयार करने पा भी प्रथल बरते हैं।

इन गमयदानी वायंवर्ताओंमें सर शर्ट के लोग हैं। रचनात्मक, वायंवार्ता, किधार्थी, राजनीतिप वायंवर्ता, ज्ञान, बूढ़े, भोर गरणारी नौरी दुपराने वाले लोग हैं।

नागपुर विभाग के इन कार्यकर्ताओं ने १० तहसीलों में सामूहिक पदयात्रा और निकालकर आठ माह में ३००० देहातों में सदेश पहुंचाया। फलस्वरूप ४००० से ऊपर दाताओं ने १०००० अंकड़ से अधिक भूदान दिया। २००० से अधिक दाताओं ने सपत्निदान दिया। भूदानपत्र के ५०० में ऊपर ग्राहक वने। ५००० रुपयों का साहित्य बेचा। १०० से अधिक कार्यकर्ताओं ने समयदान दिया।

पूर्वतेयारी की जो आदर्श कल्पना थी अस्के मुताबिक हम सब जगह काम नहीं कर सके। यदोकि काजीवरम् सम्मेलन तक हर गाव म हमें जाना ही है ऐसा कार्यकर्ताओं का निश्चय था। इसलिये पूर्वतेयारी के लिये हर तहसील में पूरा समय नहीं मिला। और स्थानीय लोगों के लिये समय अनुकूल न रहने पर भी लगातार पदयात्रा चलाने के लिये कई स्थानों पर पदयात्रा ली।

कुछ तहसीलों में १ माह की पूर्वतेयारी करके काम हुआ। ऐसा काम प्रात के हर विभाग में हुआ। नतीजा बहुत अच्छा आया। उदाहरण के लिये हम तीन विभागों की तीन निम्न तहसीलों को ले —

तहसील का नाम	दातासस्या	भूमिप्राप्ति (अंकड़)
(१) पुसद	१६००	८५००
(२) जबलपुर	१३००	४०००
(३) आर्वी	११००	३२००

जहा जल्दी-जल्दी ८-१० दिन की पूर्वतेयारी करके काम किया गया और भूमिप्राप्ति वे बजाय गाव-गाव सदेश पहुंचाने का उद्देश्य प्रमुख माना गया वहा का नतीजा भी आशाप्रद रहा। नागपुर विभाग वे ९ तहसीलों में ऐसा काम हुआ और वही भी ५०० अंकड़ में सम जीमें नहीं मिली। असलिये अधिक पूर्वतेयारी करे तो अधिक फल मिलता है, लेकिन साधारण पूर्वतेयारी में भी सामूहिक पदयात्रा के तरफ से आदादायक हो नतीजा आता है। प्राप्ति के साथ-नाथ वितरण और सामूहिक पदयात्राओं में भूमिपुद्रा का गहवार लेने का गफल प्रयास कुछ जगह किया गया। इसका आम दर्द देने का प्रयत्न चल रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रथम प्रातभर के सब कार्यकर्ताओं की शक्ति लगाकर केवल १ टोलियाँ निकली थी। अब मध्यप्रदेश में कम-से-कम एक ही समयपर २०० टोलियाँ निकल सकती हैं।

• • •

५ सामूहिक पदयात्राओं का उपयोग.

प्रात के हरभाग में सदेश पहुँचाने की दृष्टि से प्रात के विभाग (डिव्हिजन) किये जाए। हर डिव्हिजन में १५ से १८ तक पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता हों; अिससे अधिक सख्त्या हो तो और अच्छा। सामान्यतः ३ से ५ जिलों का डिव्हिजन बनेगा। लेकिन बिहार सरीखे प्रात में १-१ जिले का भी डिव्हिजन हो सकता है क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं की सख्त्या अधिक है। अत्कल ने ५ डिव्हिजन किये हैं अब अंतर प्रदेश ने—१०, गुजरात ने—२, मध्यप्रदेश ने गतवर्ष ६ डिव्हिजन किये थे। ऐसे डिव्हिजन बनाकर हर डिव्हिजन के प्रत्येक गाव में सदेश कैसे जाय, कौन समय कौन सा भाग लिया जाय अिसका एक दाओम टेबल बनाया जाय। वैसे ही अिस डिव्हिजन में पदयात्राओं के संगठन की जिम्मेदारी किसी योग्य कार्यकर्ता पर सौंपी जाय।

भिन्न भिन्न प्रातों की स्थिति देखते हुए अब ऐसा लगता है कि सामूहिक पदयात्रा ७ दिन के बजाय ९ दिन की रखी जाय। ९ दिन की साप्ताहिक पदयात्रा २ दिन का शिविर, आखरी दिन का अतिम समारोह, एक दिन नभी तहमील में आने का समय मिलवर थेक सप्ताह को १३ दिन लगेगे। अतः ऐसे दो सप्ताह थेक माह में हो सकेंगे। ९ दिन में १६ गाव सामान्यतया लिये जा सकेंगे। अतः २५ टोलियाँ अिस गप्ताह में ४०० गावों में सदेश पहुँचा सकेंगी। अिस तरह माह में ८०० गाव एक डिव्हिजन में हो गवते हैं। यदि टोलियाँ अधिक निष्ठी तो अिन गावों की मंस्या बढ़ेगी। पूर्वतंयारी के लिये ३ कार्यकर्ता १३ दिन पूर्ण ही अग तहमील में भेज दिये जावे। यानी यदि १८ कार्यकर्ता हों तो ६ पार्यंकर्ता पूर्वतंयारी के लिये अन्तर रखे जावें। १८ से अधिक पार्यंकर्ता

हो तो पूर्व-तैयारी के लिये ८-१० कार्यकर्ता भी रखे जा सकते हैं। अनेक से आधे कार्यकर्ता आगामी तहसील में शिविर के १३ दिन पूर्व पूर्व-तैयारी के लिये भेजे जावें। ये कार्यकर्ता फिर सप्ताह में भी काम करेगे। अत वर्ष समेत १८ कार्यकर्ताओं में से १५ कार्यकर्ता सप्ताह में रहेगे अब ३ कार्यकर्ता पूर्व-तैयारी में, अस प्रकार भाष में दो पदयात्राएँ चलेगी। अत. यह स्पष्ट है कि साप्ताहिक पदयात्रा के लिये १३ दिन पूर्वतैयारी अब १३ दिन की पदयात्रा में और २६ दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि १३ दिन का ही समय लगेगा। यह समझने में कुछ कठिनाई हो तो सबलगाड़ से लौटे हुए भाई अस कठिनाओं को दूर कर सकेंगे।

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम लगातार एक समान ही चलता रहता जरूरी नहीं है। लेकिन प्रारम्भ में जनता में इस विचार का व्यापक प्रचार करने के लिये, काम को बढ़ावा देने के लिये और नये कार्यकर्ता प्राप्त करने के लिये इसकी निहायत जरूरत है। प्रथम कदम के बातौर यह एक अच्छा तरीका है।

'सघ द्वारण गच्छामि' यह मत हमें अमल में लाना है। एक बार तहसील में इसका प्रयोग हो जाने के बाद चार-पाच जिलों के कार्यकर्ता को द्वार-द्वार वहा आने की जरूरत नहीं है। नये कार्यकर्ता तैयार हो जाने के बाद एके के जिले के कार्यकर्ता भी इस तरह की पदयात्राएँ निकाल सकते हैं। एक बार पार्वती का आत्मविद्वास और शक्ति बढ़ने पर और जनता का सहर्योग मिलने पर तो फिर गाव-गाव में स्वतंत्र रूप से काम चलेगा। लेकिन काम को गति देने के लिये पहले धयके के बातौर सामूहिक पदयात्रा एक अच्छा तरीका है।

• • •

६ 'एक दिन में क्रांति' की पूर्व तैयारी

हम ने १९५२ में सेवापूरी में तय किया था कि ५ लाख गावों में २५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त हो। २५ लाख एकड़ जमीन तो मिली, उनमें भी अधिक मिली, लेकिन ५ लाख गावों में हम भूमिदान न ला गये। क्योंकि हम ५ लाख गावों में पूर्च ही नहीं पाये। यानी भारत में गव गावों में हम एक बार भी

अभी नहीं पहुँचे हैं। और हमें १९५७ में क्राति का पहिला कदम पूर्ण करना है, ऐसा हम भानते हैं। यह कैसे होगा? अत एक बार गावन्गाव जाकर सदेश पहुँचाना निहायत जरूरी है।

सदेश पहुँचाने का काम कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अकेले भी कर सकते हैं। वह भी अभी तक नहीं हुआ है। मुश्किल से ५ लाख गावों में से २ लाख गावों में हम पहुँच पाये हैं। वह क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कार्यकर्ता निराश हो गये हैं। केवल धूमने से क्या लाभ यह भी उन्हें लगता है। इसलिए धूमने के साथ-साथ यदि जमीन मिले, जनता पर एवं अन्य कार्यकर्ताओं पर भूदान कार्य का प्रभाव पड़ सके ऐसा तरीका खोजना चाहिये। सीधार्ग से ऐसा तरीका सामूहिक पदयात्रा के स्पष्ट में सामने आया है। इससे केवल गावन्गाव सदेश ही नहीं पहुँचाया जाता है, बल्कि जमीन भी मिलती है, और ऊपर बताए हुए अन्य नतीजे भी सामने आते हैं। यदि हम इस प्रभावकारी तरीके का प्रयोग भारतभर करते हैं तो क्या होगा?

कल्पना ही करनी हो तो कल्पना पूरी करनी चाहिये। मध्यप्रदेश में मामूली पूर्वतेयारी से हर तहसीलमें ६०० एकड़ औसत जमीन मिली है। इस हिसाब से भारतभर में ६ लाख एकर सामान्य कार्यकर्ताओं द्वारा भूमि प्राप्ति हो सकती है। विनोदाजी, जयप्रकाशजी, धावा राधयदासजी, रविशंकर महाराज आदि के द्वारा मिलनेवाली जमीन तो अलग ही है। सप्ततिदान-पत्रों का आज का कुछ हजारों का आवड़ा लाखों में जायगा। आज के कार्यकर्ताओं में कम-न्मेकम तिगुनी वृद्धि होगी। सब कार्यकर्ताओं वो तात्त्विक एवं व्यावहारिक भूदान यज वी शिक्षा का बढ़िया मौका मिलेगा।

और गावन्गाव तो सदेश फेलेगा ही। आज डेढ़ हजार कार्यकर्ता काम पर रहे हैं। इनमें से ३०० कार्यकर्ताओं वो आॅफिस काम के लिये एवं मगठन के लिये रखा जाय तो भी १२०० कार्यकर्ता मिलते हैं। भारत में ही इतनी जारी है। यह मस्या प्रति मप्ताह सामूहिक पदयात्रा के तत्रे में नारण बढ़ेगी। पानी १२०० टॉलिया तां फौरन निकाली जा सकती है।

यदि माह में २ पदयात्राओं निकाली जाय और वचा हुआ समय पूर्वतयारी एवं अन्य कामों में दिया जाय तो भी सालभर में २४ पदयात्राओं निकल सकती है। एक सप्ताह में १२ छोटे-मोटे गावों में हम जा सकते हैं। इस प्रकार १२००×२४×१२ यानों करीब-करीब ३॥ लाख गावों में हम जा सकते हैं। उत्तरोत्तर इन टालियों की स्थापा बढ़ती जावेगी। अत हम १ सालके भीतर पाच लाख गावों में पहुच सकते हैं।

ऐसा करने से हर गाव में भूदानयज्ञ का सदेश पहुचेगा, साहित्य जावेगा, भूदानपत्र के ग्राहक बनेंगे, बहुताश गावों में से भूदान मिलेगा, सपत्तिदान मिलेगा, वितरण होगा, जीवनदानी मिलेगे। हर तहसील में पूरा समय देने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा, गाव-गाव जीवनदानी मिलेगे, कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे, और अनेक कार्यकर्ताओं को पूरा, एवं प्रभावकारी काम मिलेगा। साथ में काम करने से कार्यकर्ताओं का भाईचारा बढ़ेगा, गलतफहमिया दूर होगी, मनमुटाव हटेगा। इससे गणसेवकत्व निर्माण होगा। केवल इतना ही सामने होता तो भी वह कम नहीं था। अलावा इसके गाव-नाव के लोगों को हम १९५७ की ऋति का, जमीन बाटने की प्रक्रिया का ज्ञान दे सकेंगे। गाव-गाव सेवक मिल सकेंगे। इसीमें से 'एक दिन में नाति का विनोदा का सपना मूर्त्तरूप में आ सकता है।

आज हम सब जानते हैं कि अपनी नीतिकता सहृदयता सद्भावना कम होते चली जा रही है। वह हमें ऊची ले जाना है। सपत्ति का वितरण करके समानता लाना है। सहकार्य की वृत्ति बढ़ानी है। सहकार्य के आधार पर समाज खड़ा करना है। खानेवाले को काम और बाम करनेवालों को खाना देना है। ऐसा समाज ही कायम करना है। ऐसा सर्वोदय-समाज निर्माण करने के हेतु भूदान यज्ञ आदोलन ५ साल से अपने देश में चल रहा है। अभीतक देश में ४४ लाख अेकड जमीन मिली। ११०० ग्रामदान मिले याने गांधीवालों ने कुल गाव की जमीन दान में दे दी। अभी तक प्राप्त लाखों अेकड जमीन का वितरण देशभर में हो रहा है।

परिशिष्ट नं. १

तहसील भूदान समाह

भूमिदान आदोलन के साथ ही सपत्तिदान आदोलन को भी गति प्राप्त हुई है और यिस प्रकार वुद्धिदान, जीवनदान, थमदान, समयदान, साधनदान एवं ग्रामदान इत्यादि आन्दोलन भी शुरू हुए हैं। अहिंसा और शान्ति द्वारा जिस तरह से हमने स्वराज्य प्राप्त किया उसी प्रकार हम आर्थिक व सामाजिक समता इसी मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का आत्मविश्वास इन आन्दोलनों के शुरू होने के पश्चात लोगों में बढ़ रहा है। इन आन्दोलनों को सभी राजकीय पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है। काग्रेस के अध्यक्ष श्री देवरभाई ने समस्त काग्रेस कमेटियों को भूदान-कार्य करने के लिये आदेश भी दिया। है। श्री जयप्रकाशजी ने तो यिस बार्य के लिये अपना जीवनदान दिया है अब इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी जनता की है।

हर तरह के अपने मतभेदों को अलग रखकर हम इस आन्दोलन को सन् ५७ तक यशस्वी बनाने के लिये जिम्मेदारी के साथ इस काम में लग जाय।

गोदिया तहसील में अभी तक १००० एकड़ जमीन प्राप्त हुई है, जिसमें से ६०० एकड़ जमीन का वितरण हो चुका है। भूमिहीन भूमि मजदूरों की सख्ती का देखते हुओं यह जमीन बहुत कम है। अन्य तहसीलों में सामूहिक पदयात्रा में वापसी जमीन प्राप्त हुयी है। यिस प्रकार की पदयात्रा हमारी गोदिया तहसील में ता २६ फरवरी में लेकर ४ मार्च तक भूदान समिति ने आयोजित की है।

पदयात्रा के प्रारम्भ के पहले ता २४ तथा २५ फरवरी को कार्यकर्ताओं का शिविर गोदियामें होगा। इसके पश्चात ३५ से ४० टोलिया सपूर्ण तहसील के प्रत्येक गाँव में जाकर इस आन्दोलन का प्रचार वरेगी एवं अधिक-मे-अधिक भूदान, सपत्तिदान, साधनदान इत्यादि प्राप्त करेगी। इस शिविर का समारोह ता ४ मार्च वा तिराड़ा में होगा। शिविर के उद्घाटन एवं समारोह के लिये यात्रा में नेताओं वा युलाने का आयोजन विया जा रहा है।

गोदिया तहसील के भभी भाईयो से प्रार्थना है कि हमारे देश की आर्थिक व सामाजिक विप्रभत्ता दूर करने के लिये सन्त विनोबाजी ने जो यह आन्दोलन शुरू किया है इसमें अपना हिस्सा देकर इसे यशस्वी बनाने का भरसक प्रयत्न करे।

सन्त विनोबाजी का कहना है कि सम्पन्न काश्तकारों को अपने निर्वाहिके लिये जरूरी जमीन रखकर बाकी की दान कर देना चाहिये। मध्यम श्रेणी के काश्तकारोंने अपना छटवा हिस्सा देना चाहिये। एवं गरीब काश्तकारों को भी नैवेद्य समझकर कुछ हिस्सा देना चाहिये। जिन भाईयो के पास जमीन नहीं है वे सम्पत्तिदान दें।

• • •

परिशिष्ट नं. २

भूमिदान तथा संपत्तिदान के सम्बन्ध में नेताओं के अभिप्राय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी —

मीराबेन ने बापूजी से फिर पूछा कि रवराज्य प्राप्ति के बाद जमीन की व्यवस्था कैसी रहेगी? बापूजी ने कहा “जमीन सरकार की होगी। मैं यहो मानकर चलता हूँ कि राज्यसत्ता उन्हीं लोगो के हाथ में होगी जो इस आदर्श पर विश्वास रखते हो। बहुत सारे जमीदार अपनी खुशी से जमीन छोड़ देंगे। जो नहीं देंगे उनके लिये कानून बनेगा।”

भूदान यज्ञ के प्रचतंक सन्त विनोबा —

मेरे भारतवासी भाईयो, आप से मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रजासूख यज्ञ में अपना हिस्सा अर्पण करे और इस काम को सफल करके आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठापना करे। हमारा विचार समझें बगैर यदि कोई हमें जमीन देगा तो हमें दुख होगा। किसी भी ढग से जमीन इकट्ठा करना

भूमिहीन भजदूरों को देते हैं। अगर उस गाव वा बोई योग्य व्यक्ति ने मिले अथवा पढ़ोस के गाववालियों सुविधा हो तो उनको दी जाती है।

२ जमीन खेती के लिये ऐसे भूमिहीनों को देते हैं जिनके पास दूसरा कोई धदा व्यापार नहीं है। जो जमीन की काश्त स्वयं करता है या जिसकी जमीनपर मेहमत बरने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती है।

३ प्राप्त जमीन का बम-से-कम $\frac{1}{2}$ हिस्सा हरिजन या आदिवासी को बाटते हैं।

जमीन का बैटवारा कैसे ?

१ जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगों को डुगी द्वारा वितरण की सूचना दी जाती है।

२ भूमि वितरण गाव वालों की सार्वजनिक सभा में होता है।

३ भूमिहीनों के अर्ज मुफ्त लिये जाते हैं। सभा म भी अर्ज लिये जाते हैं।

४ भूमि वितरण सर्व समती से करने की बोशीश की जाती है। मतभेद की सुरत में चिट्ठी डालकर निर्णय होता है।

कितनी जमीन

अेक परिवार को अधिक-से-अधिक—

(१) तरी जमीन—३ अेकड तक

(२) सरकी जमीन—

(अ) चावल थोव्र—७ अेकड तक

(आ) कपास, ज्वार गेहूँ थोव्र (मंदानी) १० अेकड तक

” , , (पठार १५ अेकड)

(ई) बिल्कूल हलकी जमीन (पथरीली भाराखेरी बरली ढालू)

२० अेकड तक

जमीन बाँटने वा यह परिमाण मध्यप्रदेश का है। अन्य प्रदेशों म जमीन बो देखकर कम जादा हो सकता है।

भूदान में मिली जमीन

- (१) भूमिदान की जमीन जिसे मिली है उस भूमिपारी का हक उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिगों को मिलेगा।
 - (२) वह जमीन बेच नहीं सकेगा या अपना हक हस्तातर नहीं पर सकेगा।
 - (३) वह दूसरे किसी को ढेके से या अन्य तरह से जमीन नहीं दे सकेगा।
 - (४) यह दो बर्पं से अधिक समयतक जमीन पड़ती नहीं रखेगा।
 - (५) वह लगान समयपर देगा।
- • •

परिशिष्ट नं. ४

गरीबों भूमिक्रान्ति के सैनिक बनो

वडे जमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान में जमीन मांगना ठीक है। लेकिन गरीब किसानों से दान लेकर उन्हें अधिक गरीब क्यों बनाते हो?

विनोबाजी का जवाब

वडे लोगों से तो मैं जमीन लेऊगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मांगते हैं, विसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन मांगते हैं। जो मध्यम थेणी के किसान, हैं, अनुसे हम छठा हिस्सा मांगते हैं। जो वडे-वडे काश्तकार और जमीदार हैं अनुसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिये थोड़ा-सा रखकर बाकी सारा दान दे दो। और जो विलकुल गरीब है उनसे तो हम प्रसाद के रूपमें वे जो भी दें ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण हैं।

अधिक गरीब के लिये त्याएँ

- (१) आज समाज में सब से दुखी वेजमीन लोग हैं। अनुकी तुलना में गरीब किसान भी सुखी हैं। असलिये आज समाज में जो सब से ज्यादह दुखी हैं असके लिये हर अेक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना चाहिये। ऐसे लिये पर्याप्त

भूमिहीन मजदूरों को देते हैं। अगर उस गांव का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पड़ोस के गाववालेको सुविधा हो तो उनको दी जाती है।

२. जमीन खेती के लिये ऐसे भूमिहीनों को देते हैं जिनके पास दूसरा कोई धंदा व्यापार मही है। जो जमीन की काश्त स्वयं करता है या जिसकी जमीनपर मेहनत करने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती है।

३. प्राप्त जमीन का कम-से-कम $\frac{1}{2}$ हिस्सा हरिजन या आदिवासी को बाटते हैं।

जमीन का बैटवारा कैसे ?

१. जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगों को डुग्गी द्वारा वितरण की सूचना दी जाती है।

२. भूमि-वितरण गाव वालों की सार्वजनिक सभा में होता है।

३. भूमिहीनों के अर्ज मुफ्त लिये जाते हैं। सभा में भी अर्ज लिये जाते हैं।

४. भूमि वितरण सर्व समती से करने की कोशीश की जाती है। मतभेद की सुरत में चिट्ठी डालकर निर्णय होता है।

कितनी जमीन

एक परिवार को अधिक-से-अधिक—

(१) तरी जमीन—३ एकड़ तक.

(२) खक्की जमीन—

(अ) चावल क्षेत्र—७ एकड़ तक

(आ) कपास, ज्वार, गेहूं क्षेत्र (मैदानो) १० एकड़ तक

“ ” ” (पठार १५ एकड़)

(ई) विल्कूल हल्की जमीन (पथरीली भाराखेरी बरली डाल)

२० एकड़ तक

जमीन घौटने का यह परिमाण मध्यप्रदेश का है। अन्य प्रदेशों में, जमीन को देखकर कम जादा हो सकता है।

भूदान में मिली जमीन

- (१) भूमिदान की जमीन जिसे मिली है उस भूमिपारी का हक उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों को मिलेगा।
 - (२) वह जमीन येच नहीं सकेगा या अपना हक हस्तांतर नहीं कर सकेगा।
 - (३) वह दूसरे किसी को ठेके से या अन्य तरह से जमीन नहीं दे सकेगा।
 - (४) यह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पड़ती नहीं रखेगा।
 - (५) वह लगान समयपर देगा।
- • •

परिशिष्ट नं. ४

गरीबों भूमिक्रान्ति के सैनिक बनो

वहे जमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान से जमीन मांगता थीक है। लेकिन गरीब किसानों से दान लेकर उन्हें अधिक गरीब क्यों बनाते हो?

विनोदाजी का जवाब

वहे लोगों से तो मैं जमीन लेड़ूंगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मांगते हैं, विंसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन मांगते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान, हैं, अनुसे हम छठा हिस्सा मांगते हैं। जो वडे-वडे काश्तकार और जमीनदार हैं अनुसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिये थोड़ा-सा रखकर बाकी सारा दान दें दो। और जो बिलकुल गरीब है उनसे तो हम प्रसाद के रूपमें वे जो भी दें ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण हैं।

अधिक गरीब को लिये त्याग

(१) आज समाज में सब से दुखी बेजमीन लोग हैं। अनुकी तुलना में गरीब किसान भी सुखी है। असलिये आज समाज में जो सब से ज्यादह दुखी है असके लिये हर एक को थोड़ा-थोड़ा त्याग करना चाहिये। मेरे लिये पर्याप्ति

रोटी मेरे पास नहीं है, तो अगर कोओ भूखा मेरे पास आजाय, तो मेरे पास जो भी कुछ है, अुसमें से अेक हिस्सा अुस को देना मेरा कर्तव्य है। यह अेक धर्म है। हम यही भावना समाज मे लाना चाहते हैं।

आसक्ति का निराकरण

(२) आखिर हम सिखाना चाहते हैं कि जमीन पर किसी की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिये। आज जैसे श्रीमान् अपने को अपनी जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी अुसकी थोड़ी सी जमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनों खुद को जमीन का मालिक मानते हैं। हम दोनों को जिस मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य है, वैसे ही जो जमीन माँगता है, असे जमीन देना भी अपना कर्तव्य है क्योंकि जमीन परमेश्वर की है।

नैतिक शक्ति निर्माण

(३) हम श्रीमानों से जमीन माँग तो अुस के लिये हमारा अुन पर असर भी होना चाहिये। लेकिन असर कैसे होगा? हमारे पास क्या शक्ति है? क्या हमारे पास पिस्तौल है? पर हमारे पास न तो पिस्तौल है और न पिस्तौल की तापत पर हमारा विद्यास ही है। जिसलिये हम नैतिक शक्ति निर्माण परना चाहते हैं। जब हजारों गरीब दान देंगे तब नैतिक शक्ति पैदा होगी और अुसका असर श्रीमानों पर होगा। अंसा हो भी रहा है। पहले श्रीमान लोग हमें टालते थे। परतु अब हजारीबाग जिले में (विहार) अुन लोगों ने मुझे चितनी जमीन दी? अनुहोने अब जमीन बयो दी? जिसलिये कि जब दो साल तक गरीब लोगों ने हम पर दानको बर्पा की।

सत्याप्रदृष्टि सेना

(४) मैंने कभी यार वहा है कि हम तो हमारी सेना तैयार घर रहे हैं। उच्चनीचकाला भेद हमें सत्य बरणा है और ऐसी सेना बनानी है, जिसके आधार पर हम लटाई लड़ गयते हैं। जिन्होने दान दिया होगा, या ख्याल दिया होगा, और जिन्होने हमारे पासमें राष्ट्र सहानुभूति घताई होगी, वे ही हमारे

संनिक बनेंगे। आगे कभी अगर श्रीमानों के दिल ने खुले, तो हम थेक कदम और भी आगे बढ़ेगे। और मजा ऐसी कि श्रीमान भी इसी सेना के संनिक बनेंगे।

मरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जबरदस्त साधित होगी कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। “हुकारेणैव धनुप !” तीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही, हमारे सेनाके हुकारसे ही बाम हो जायेगा। जब लाखों गरीबों लोग दान देंगे, तो विना लडाई लड़े काम हो जायेगा। भगवान् को जब गोवर्धन खड़ा करना था, तो उसने सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ। यह एक जनशक्ति निर्माण करने की बात है, इसलिये हम गरीबों से दान लेते हैं।

परिशिष्ट नं. ५

शिविरका पाठ्यक्रम

- १ भूदान आदोलन का इतिहास, आदोलन की व्यावहारिक जानकारी
- २ भूदान आदोलन की अनिवार्यता और देश के अन्य कार्यक्रमों से इसकी विशेषता (नाति और सुधार में क्या फरक है)
- ३ कानून और नाति। कानूनसे नाति क्यों नहीं होती ?
- ४ सर्वोदय समाज का चित्र—भूदान यज्ञ असका प्रथम कदम
- ५ सपत्तिदान, साधनदान, थ्रमदान
- ६ गरीबों से दान क्यों ?
- ७ ग्रामदान
- ८ भूदान यज्ञ की लोक नीति पद्धनिरेक्षता
- ९ शासन निरपेक्ष समाज
- १० भूदान और विश्व-न्याति
- ११ शका समाधान
- १२ १९५७ तक समग्रदान, जीवनदान
- १३ पद्यान्त्रा वाबत व्यावहारिक सूचनाओं

परिशिष्ट न. ६

कार्यकर्ता गांव में क्या करें ?

१ हर गाव में आम सभा करनी चाहिये । सभा के लिये खुद डुम्भी देकर लोगों को निमत्रण दे । सभा के पूर्व ही दो चार भाइओं से मिलकर उन्हें सभा में दान देने के लिये प्रवृत्त करे । सभा में दान मागना चाहिये ।

२ केवल विचार प्रचार पर सतोष नहीं मानना चाहिये । भूदान संपत्तिदान पत्र मिलने चाहिये । ऐसे दान-पत्र मिलना ही अच्छे विचार-प्रचारका परिणाम हो सकता है ।

३ भूदानपत्र का ग्राहक हरएक गाव में हो ऐसा पूरा प्रयत्न करे । साथ-साथ साहित्य विद्री करे ।

४ सभा के बाद गाव में घर-घर जाकर दान मागना चाहिये ।

५ गाव के कार्यकर्ता और दाताओं को गाव में घूमते समय साथ लेना चाहिये । उन्हे अगले पड़ाव पर भी साथ लेने की कोशिश करे । जनता को सप्ताह के समारोह के लिये निमत्रित किया जाय । दान के साथ-साथ पूरा एवं आशिक समय देनेवाले कार्यकर्ता तैयार करना चाहिये ।

६ गाव में जिनसे मिले उनके बाबत और गाव में भूमिहीन कितने हैं और जो बाम गाव में सभा में हुवा उस बाबत नोटवक में व्यवहार लिखना चाहिये ।

७ गाव में साहित्य या भूदान पत्र का सामूहिक वाचन हो ऐसा इतजाम करने भी कोशिश करे ।

परिशिष्ट नं. ७

भूदान यज्ञ समिति

श्री—

भूदान यज्ञ में आपने गांव

मो. नं. ————— तहसील ————— जिला —————

की ————— ऐकड़ जमीन दान दी इसके लिये भूदान समिति आपकी आमारी है। यह जमीन जब तक नहीं बांटी जाती तब तक उसकी जोत करना, लगान देना आदि जिम्मेवारी द्रस्टी के नाते आप पर ही है। जमीन बांटी नहीं जाती तब तक खेती में से जो उपज होगी वह आप रख सकते हैं।

आपका

संयोजक

परिशिष्ट नं. ८

मेरे प्यारे भारतवासी बधुजनो,

आप सब लोग बहुत प्रेम से हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। अपना यह आदोलन यह भू-दान का काम दिन-ब-दिन गहरा होते जा रहा है। यह आदोलन आप सब के हाथ में है।

पाच वर्ष पहले गरमी के दिनों में मैं तेलगाना घूमता था। गरीबी और मारकाट के कारण—वहाँ जो विकट समस्या खड़ी थी, अुसके बारे में मेरा रोज़-चित्तन चलता था। एक दिन हरिजनों की माग पर मैंने धुवरा ग्रामवालों से भूमि-दान की बात कही। ग्रामवालों ने यह बात मान ली। और मुझे पहला भूमि-दान मिला। अठारह अप्रैल, १९५१ का वह दिन था। अुसके बाद तेलगाना में दो महिनों में बारह हजार एकड़ जमीन मिली। अुससे तेलगाना का वातावरण काफी शात हुआ। प नेहरूजी ने मेरे विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। अुस निमित्त से मैं पैदल-यात्रा पर निकल पड़ा और दिल्ली तक दो महिने में करीब अठारह हजार एकड़ जमीन मुझे मिली। अुत्तर-प्रदेशवाले सर्वोदय प्रेमी कार्यकर्ताओं की माग पर मैंने अुत्तर-प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में भू-दान यज्ञ का प्रयोग आरम्भ किया। अुत्तर-प्रदेश में पाच लाख एकड़ का सकल्प करीब पूरा हुआ। अुत्तर-प्रदेश में मगरोठ नाम का पहला गाव दान में मिला। विहार ने २२ लाख एकड़ जमीन दान दी। और भू-दान का अब व्यापक दर्शन देखने को मिला। अुत्कल ने तो ९०० गाव ग्राम-दान में दिये। चालीस लाख एकड़ से हिन्दुस्तान के भूमिहीनों का मसला हल होता है ऐसी बात नहीं। लेकिन यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, दरिद्रीनारायण की भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए जब मुझ से पूछते हैं आपका अब क्या है? वितनी जमीन आपको चाहिए? तो मैं जबाब देता हूँ “पाच करोड़ एक डॉ”, जो जमीन गैरकाशत है अुसी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर पत्तिवार में पाच भागी हैं तो अब छठा मुझे मान लीजिए। वैसे सो मुझे ३० करोड़ एकड़ दान वरे क्योंकि जमीन का मालिक कोई नहीं है। सब मदद करे तो १९५७ तक

यह हो सकता है। अेक दिन मे दिवाली मनायी जाती है। होली होती है तो अेक दिन मे सब लोग तय करे तो हिन्दुस्तान की जमीन एक दिन मे बँट सकती है।

हर गाव मे सभा होनी चाहिये। प्रार्थना कर के, गावके भलाई के बारे मे सब को मिलकर सोचना चाहिये। इसमे हमारी “भू-दान-यज्ञ पनिका” काफी मदद दे सकती है। हा, अुसमे भारकाट की खवरे नही मिलेगी। न झगडे की खवरे मिलेगी। तो भू-दान-यज्ञ को हर गाव मे आना चाहिए।

इसके पीछे जो विचार है वह समझना कठिन नही है। सब लोग, छोटे-बडे लोग, देहाती-लोग, शहर के लोग, पढे-लिखे लोग, और अपढ लोग सब समझ सकते हैं। इतना सादा विचार है।

यह विचार क्या है? जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी है, कोओ नही कह सकता कि मैं हवा का मालिक हू, पानी का मालिक हू या सूर्य की रोशनी का मालिक हू, वैसे ही कोओ नही कह सकता कि मैं जमीन का मालिक हू। जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी सब को मिलती है, वैसे ही धरतीमाता क्यो नही होनी चाहिए? क्या मा चाहती है कि कुछ बच्चो वो सुख मिले और कुछ बच्चे को सुख न मिले? जब अेक सीधीसी माता, सब बच्चो को सुख मिले, यह चाहती है तो जाहिर है कि कृपालु, दयालु परमेश्वर जो माता है, जिसने हवा पानी और पृथ्वी दी है, अुसकी अिच्छा तो यही हो सकती है कि सबको समान सुख मिले, हर अेक को जमीन का टुकडा मिले, जैसे पानी का हिस्सा हर अेक को होना चाहिए।

भू-दान यज्ञ मे दान शब्द आता है। दान याने समान बटवारा यह अर्थ रुढ करना है। और यज्ञ शब्द भी आता है। अिस यज्ञ मे हिस्सा लेना हर अेक का वर्तव्य है। वेवल बडे लोगो से जमीन लेना नही है। यह यज्ञ है अिसलिए गरीबो को भी अेक अेकड मे से अेक डेसिमल देना है। और मुझे खुशी होती है कि बडे दिलवाले इन छोटे लोगो ने बहुत प्रेम से ऐरी प्रार्थना

मान्य की है। इस पश्च मे कभी शवसियों ने अपने वेर दिये है, कभी सुदामार्जों ने अपने तंदुल समर्पण किये है। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि मरीबों से दान क्यों लेते हो?

मैं गरीबों से दान मांगता हूँ अिसका मतलब यह नहीं है कि सब सरीखा दान दें। मध्यम श्रेणीवाले काश्तकार भुजे छठवाँ हिस्ता दें। बड़े-बड़े जमीदार थोड़ी-सी छोड़कर सब की सब दें। और गरीब भी कुछ न कुछ दें। गरीबों से चार कारणों के लिए मे दान मांगता हूँ।

१. आज समाज में सब से दुखी जेजमीन लोग है। अुसकी तुलना में ५-१० अेकड़वाला ज्यादा सुखी है। हमारे घर मे कम भोजन होने पर भी यदि कोओ भूखा आता है, तो हम अुसे देते ही है। यही धर्म है। इसलिए गरीब को अपने से अधिक गरीब के लिए दान देना चाहिए।

२. आखिर हम सब को सिखाना चाहते है कि जमीन पर किसी की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिए। आज जैसे श्रीमान अपने को जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी अपनी थोड़ी-सी जमीन का मालिक समझता है। छोटे लोग भी अपनी मालकी नहीं छोड़ते है। लेकिन जमीन का मालिक केवल परमेश्वर है। इसलिए सब को मालिकी छोड़नी है।

३. हम श्रीमानों से जमीन माँगें तो अुसके लिए हमारा असर होना चाहिए। लेकिन असर कैसे हो? हमारे पास क्या शक्ति है? क्या हमारे पास पिस्तौल है? पिस्तौल के ताकद पर हमारा विश्वास नहीं है। अुससे काम विगड़ता है। इसलिए हम नीतिक शक्ति निर्माण करना चाहते है। जब हजारों गरीब दान देने तब नीतिक शक्ति पैदा होगी। और अुसका असर श्रीमानों पर होगा। पहले श्रीमान हमको टालते थे। लेकिन जब गरीबों ने दान की वर्षा की तो आखिर शाम भी तो अेक चीज है। अिससे अेक हवा पैदा होती है और श्रीमानों पर असर पड़ता है।

४. मैंने तो कभी बार कहा है कि मैं अपनी सेना बना रहा हूँ। जो गरीब लोग दान देते हैं अन्हीं की नीतिक शक्ति से हम आगे लड़ायी लड़ेंगे, अगर

कभी लड़ाओ का मौका आया तो । लेकिन लड़ाई का भोका नहीं आयेगा चैसा मेरा विश्वास है । परन्तु अगर वे नहीं समझेंगे तो मेरी सेना मे वे ही पुण्यात्मा आयेंगे, जिन्होंने अपने जमीन का टुकड़ा दान में दिया है । भगवान ने जब गोदर्धन पर्वत बुढ़ाया तब सब से कहा कि अपनी लाठी लगाओ । यह ऐक जनशक्ति निर्माण करने की बात है ।

भू-दान मे जो जमीन मिलती है, यह अुसी गाव के मजदूरों को आम सभा लेकर मुफ्त बाटते हैं । सब भूमिहीन मिलकर ही एक मत से बटवारा होता है । एक मत न होने पर चिट्ठी डाली जाती है ।

भू-दान-यज्ञ के साथ-साथ सपत्ति-दान यज्ञ भी चल रहा है । मे चाहता तो हूँ कम से कम छठा हिस्सा । फिर लोग अपना कुछ भी दे । हम जिस से सपत्ति का दान लेगे अुस से पेसा नहीं लेगे । पेसा अुसी के पास रहेगा । वही खर्च करेगा । और हमारे पास सिर्फ हिसाब भेजेगा । हम अुसको किस तरह खर्च करना है अिसका भार्गदर्शन करेगे । हमारा अुस पर पूरा विश्वास है । वह अपनी अतरात्मा को साक्षी रखकर हर साल खर्च करेगा । जो हिस्सा देना है, वह जीवन भर देना है । कम-से-कम पाच साल के लिए तो देना ही है । सपत्तिदान का अुपयोग फिलहाल मुख्यतः तीन बातों में करने का सोचा है ।

१ जिन भूमिहीन किसानों को भूमि दी जायेगी अुन को बीज, बैल, कुआं आदि के रूप में मदद करना । २ त्यागी सेवक वर्ग को अल्पतम निर्वाह के लिए मदद करना । ३ सर्वोदय साहित्य का प्रचार करना ।

भूदान-यज्ञ में हर कोओ हाथ नहीं ढैठा सकता । लेकिन सपत्ति-दान-यज्ञ में से कोओ नहीं छूट सकता । कोओ सावंजनिक कार्यकर्ता कम-से-कम तनस्सा लेनेवाला इन सब को दान देना है । छठा हिस्सा न दें, रूपये में ऐक आना या ऐक पेसा दे तो भी चलेगा ।

समाज में जब कुछ लोगो के पास अधिक सपत्ति है, अधिक भूमि है, और कुछ लोगो के पास यद्युत कम सपत्ति या बिलकुल कम भूमि है,

तर्बतक समाज सुखी नहीं, दुखी कहलायेगा। समाज में कशमकश और झगड़े होगे।

पाच पाँचव थे, अंसा आप जानते हैं। वे पाच नहीं थे। अनुमे छठा भी था। अुसका कर्ण नाम था। अुसको वे भूल गये। अुससे दुश्मनी हो गयी। और महाभारत की लड़ाओ हुयी। तो भाइयों। हम कहते हैं कि आपके परिवार में पाच हैं, अुसमें एक और है जिसे रहने के लिए घर नहीं हैं, जिसके बच्चे को तालीम नहीं है। विमार पढ़ने पर जिसको दवा नहीं है। वह आपका भाओ गाव में है। अुसका एक हिस्सा दीजिए। हक के तौर पर दीजिए, हम भीख नहीं मांगते।

कुछ लोग अंसा भी आक्षेप अुठाते हैं कि आप छोटे-छोटे लोगों से दान लेते हैं, जिससे जमीन के टुकड़े हो जायेंगे। लेकिन भाइयों। आज दिलों के जो टुकड़े हो गये हैं वहा जमीन क्या जोड़ सकती है? जमीन आसानी से जोड़ी जा सकती है, अगर दिल जुट जाय। छोटे टुकड़ों में भी अच्छी मेहनत कर्म पर अधिक पैदा होता है यह मेरा अनुभव है। मजदूर को यदि जमीन मिलती है, तो वह प्रेम से टुकड़ों में भी काशत करता है और अंससे फसल भी बढ़ेगी। लोग वहते हैं कानून से यह काम हो सकता है, आप नाहक को पैदल धूमते हैं। कानून से जमीन तो मिल सकती है। लेकिन कानून से गरीब और अमीरों में प्रेम नहीं पैदा किया जा सकता। वह दान देने से ही हो सकता है। जमीन तो एक निमित्त है। मैं प्रेम धर्म का प्रचार करने निवला हूँ। अंससे वातावरण पैदा होगा और कानून करने में भी सहायत होगी। हम चाहते हैं कि सभी पार्टी के वार्यकर्ता एक हो जायें, और सब समूचे हिन्दुस्तान के गरीबों का भला करे। कुछ लोग अमीरों का पथ लेते हैं और कुछ लोग गरीबों का पथ लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब भारत भाता हैं पुनः हैं। सब भाओ भाओ हैं। चाहे कोई श्रीमान हो, कोई गरीब हो। चाहे कोई आहूरण हो या शुद्ध हो। चाहे कोई कुष्ठ रोगी हो। आप सब मोर्चे। वाया की यात तो हमने सुनी लेकिन हमने कुछ दिया कि नहीं? हमारी यात सुनने से मात्र नहीं मिलेगा। अम पर अमल करने से मोर्च मिलेगा। लोगों

कों आदेश देनेवाला मैं नेता नहीं हूँ। ग्रामिणों की सेवा को ही अपनी परमार्थ साधनों संमझनेवालों में एक भक्तिमार्ग मनुष्य हूँ। आज अगर गाधीजी होते तो अस तरह लोगों के सामने अपस्थित मैं नहीं होता। बल्कि वही देहात का भगी काम और वही कौचन-मुवित खेती का प्रयोग करता हुआ मैं आपको दिखाओ देता।

मेरी प्रार्थना है कि आज देने का मौका आया है। आप सब लोग दिल खोलकर दीजिए। मैं तो गरीब श्रीमान सब का मित्र हूँ। अब लोग दान देने लगे हैं। एक जगह हरीजनों के लिए मैंने ८० एकड़ मार्गी और एक भाजी ने १०० एकड़ दी। नलगुडा के एक भाजी आये। अन्होने पहिले ५० एकड़ दी थी और बाद में अन्होने ५०० एकड़ दे दी। अनुके हिस्से की जमीन का ये चौथा हिस्सा होता है। एक बूढ़ी माके पास १२ एकड़ जमीन थी। मैंने अुसे जमीन मार्गी तो अुस ने मुझे कहा, मेरे घर में पाच लड़के हैं। मैं कैसे दान दूँ? मैंने पूछा अगर छठवाँ होता तो अुस को बराबरी का हिस्सा मिलता। मिलता या नहीं? अुस ने कहा, हा। मैंने कहा, यही समझो कि मैं छठवाँ हूँ। और मझे भी कुछ दे दो। अुस बूढ़ी माने दो एकड़ का दान दिया।

एक भाजी छ मील दूरी से आये थे। अन्होने छ एकड़ मैं से एक एकड़ दीया। वैसे ही यह हुआ ने हुआ तो एक दुसरे भाई जो दूरी से आये थे, ५२ एकड़ देकर चले गये।

जहा मैं दान लेता हूँ वहा भ्रातृ-भावना की, मैत्री की और गरीबोंके लिए प्रेम की आशा करता हूँ। जहा दूसरों की फिकर की भौवना जागती रहती है, वहा समत्व-बुद्धि प्रगट होती है। वहा वर्माव टिक नहीं सकता।

यह भूदान-यज्ञ एक अहिंसा का प्रयोग है। जीवन परिवर्तन का प्रयोग है। अस काम के लिए आप लोग जीवन दान दें। जो जीवनदान देगा वह भूमि, गपति वा दान देगा। सादी पहनेगा। शराब, भाजा, जुआ आदि युरे व्यग्रन छोड़ देगा। चुनावमें सड़ा नहीं होगा। सब के भले बी बात सोचेगा। अग जीवनदान में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। अग से

अप्रका जीवन शुद्ध होगा। आपका भला ही भला होगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप भी निमित्त मात्र हैं। परमेश्वर आप मुझ से काम कराना चाहता है। इसलिए मैं माग रहा हूँ। तब आप लोग भू-दान, संपत्ति-दान, जीवन-दान दीजिए। और दिल खोलकर दीजिए। जहाँ लोग अेक फूट जमीन के लिए झगड़ते हैं, वहाँ मेरे कहने से सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन देने के लिए तयार हो जाते हैं। तो आप समझिये कि यह परमेश्वर की प्रेरणा है। इसके साथ हो जाओ। अिसके विरोध मेरठ सड़े होईये। अिसमें से भला ही भला होगा।